2
309
7/2/19

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी जिला –अलवर

उनवान :– परसादी पुत्र पून्या राम जाति जोगी वैगरा निवासी ग्राम रैणी तह0 रैणी जिला अलवर

बनाम

गोकल पुत्र पाच्या राम पलि जाति जोगी वैगरा निवासी ग्राम रैणी तह0 रैणी जिला अलवर

आदेशिका प्रा0 पत्र 212 आर0टी0एक्ट0

07.02.2019 – वकील प्राथी उपस्थित। आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 का वकील प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया कि हाल खाता सं0 340 हाल आराजी खसरा नम्बर 1093 रक्बा 0.05, 1096/1 रक्बा 0.58 है0 कुल किता 02 कुल रक्बा 0.63 है0 वाके ग्राम रैणी तह0 रैणी जिला अलवर में स्थित है। विवादित आराजी के मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 के अनुसार प्रार्थीगण 1/3–1/3 के काबिज रिकॉडेड खातेदार काश्तकार है।

अतः अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रार्थीगण को विवादित आराजी से जबरन बेदखल कर स्वय कब्जा करते हुये कोई निर्माण कार्य न करे, न ही करावे। न ही कार्यकाश्त के उपयोग व उपभोग मे किसी प्रकार की रूकावट पैदा करे। न ही विवादित आराजी की सुरक्षा हेतू कायम मेढ़ व स्थित पेडो को किसी प्रकार से नुकसान पहुचावे। मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द करने का निवेदन किया गया। साथ में शपत पत्र भी पेश किया।

वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात् से प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थी के पक्ष मे होना प्रतीत होता है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय शपत पत्र व प्रस्तुत दस्तावेजात् पर विश्वास करते हुये अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तिथि 25.02.2019 तक पाबन्द किया जाता है कि वो प्रार्थी के आराजी के हिस्से तक हाल खाता सं0 340 हाल आराजी खसरा नम्बर 1093 रक्बा 0.05, 1096/1 रक्बा 0.58 है0 कुल किता 02 कुल रक्बा 0.63 है0 वाके ग्राम रैणी तह0 रैणी जिला अलवर के मौका स्थिति यथावत बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को इस आशय का रजि0 एडी0 नोटिस जारी हो कि उन्हे इस संबंध में कोई ऐतराज हो तो न्यायालय मे असालतन व वकालतन उपस्थित होकर जाहिर करे कि क्यो ना उक्त आदेश ताफैसला दावा स्थाई कर दिया जावे। आदेश जारी हो।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर आगामी नियत दिनांक 25.02.2019 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
रैणी जिला अलवर

25/02/19 पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य कार्यों म व्यस्त है। दिनांक को 12/3/19 पेश हो

12/3/19 – आज यह पत्रावली मूलवाद के साथ पेश हुई। स्वयं प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। उनवानी प्रकरण के न्यायालय के ...

P.T.O.

बार-बार आवाज दिलवाई गई। बाद इन्तजार पक्षकारान, अमालतन व वकालतन अनुपस्थित। ऐसी स्थिति में प्रार्थी प्रा०पत्र: 212 R+Act अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो बाद पूर्ति संलग्न मूलवाद हो।

आज यह फैसला मेरे द्वारा लिखवाया गया सरे इजलास सुनाया गया।

SDO
Rani